# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. .....70/22.....दिनांक.....3/3/2022

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018

   (II) अधिनियम ..... धारायें .....

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....(अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....60..... समय .....5:30 P.M.....

   (ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, दिनांक 02.03.2022 समय 01.27 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- भू-अभिलेख शाखा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर पश्चिम दिशा करीब 45 किमी

   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री बंशीधर यादव,

   (स) जन्म तिथी- उम्र- 38 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय - मजदूरी।

   (ल) पता- निवासी 323, पनिहारी होटल के पीछे, वार्ड नं0 12, हाड़ोता चौमू जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

(1) श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

.....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 1,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 7-02-2022 को परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी 323, पनिहारी होटल के पीछे, वार्ड नं0 12, हाड़ोता चौमू जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि ''सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर विषयः- रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बन्शीधर यादव निवासी 323 पणिहारी होटल के पीछे वार्ड न0 12 हाडोता त. चौमूं जिला जयपुर का मूल निवासी हुं। ग्राम हाडोता मै हमारी सामलाती कृषी जमीन है। जिस जमीन

की मौके की स्थीती सही करवाने के लिये पुरानी खसरा जमाबन्दी की आवश्यकता है। इसलिये मै तहसील चौमूं मे जाकर रिकार्ड बाबु जो पुराना रिकार्ड रखता है। जिसको नकल प्रार्थना पत्र दिया था जिसमे नकल देने के बदले मुझसे 1000/- रू मांगे है। बाबु का नाम निरंजन शेखावत उक्त बाबु मे से पहले भी कई बार पुराने नकल लेकर गया हुं। बिना पैसो के वो नकल नही देता है। मै उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हुं। मेरी उससे कोई रंजीस या पैसे का उधार लेन देने बाकी नही है। कानूनी कारवाई करने की कृपा करे। एसडी- प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बन्शीधर यादव निवासी 323 पणिहारी होटल के पीछे वार्ड न0 12 हाडोता त. चौमूं जिला जयपुर मो0न0 9602208333 दिनांक 07.02.2022''। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत का पाया जाने पर दिनांक 8-2-2022 एवं 21-2-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी से श्री निरंजन शेखावत भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा 1000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई।

परिवादी के परिवार में मृत्यु हो जाने से परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ट्रेप कार्यवाही दिनांक 2-3-2022 को उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ने अपने पास से एक नोट पांच सौ रूपये, दो नोट दो दो सौ रूपये तथा एक नोट सौ रूपये का कुल 1,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री रामकल्याण मीना हैड कानि0 25 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 2-03-2022 को समय 11.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर तहसील चौमू, जिला जयपुर पर पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 1.27 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी 323, पनिहारी होटल के पीछे, वार्ड नं0 12, हाड़ोता चौमू जयपुर ने भू-अभिलेख शाखा की बॉलकानी से निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक को किया। परिवादी का ईशारा पाते ही आस पास खड़े स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा करते हुए तहसील कार्यालय चौमू के प्रथम तल पर पहूंचा जहां बॉलकानी में परिवादी खड़ा हुआ मिला जिसको पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने भू-अभिलेख शाखा की तरफ ईशारा कर बताया कि कमरे मे श्री निरंजन जी बैठे हुए है जिनकी मांग के अनुसार मैने अभी-अभी रिश्वत के रूप मे इनके मांगेनुसार 1000/- रूपये दिए है जो इन्होने अपने हाथ में लेकर अपनी पेंट की दाहिनी जेब मे रख लिए थे तथा नकल मुझे दे दी थी। इस पर परिवादी को साथ लेते हुए कमरे मे प्रवेश हुआ तो कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही निरंजन शेखावत बाबू है। इस पर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर होना बताया। इस पर श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक से परिवादी से अभी-अभी कुछ समय पहले लिए गए रिश्वत के 1000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि मैने इनको कृषि भूमि की नकल दी थी उनके रूपये लिए है जो मैने बिना गिने ही मेरी पेंट की जेब मे रख लिए है। यह भी पूछा कि नकल के कितने रूपये बनते है इस बारे मे श्री निरंजन सिंह ने बताया कि रिकार्ड देखकर बता सकता हूं तथा यह भी बताया कि नकल तीन दिन मे देने का नियम है परन्तु स्टाफ की कमी होने के कारण समय लग जाता है तथा अपने हाथो को आपास मे रगड़ने लगा। आरोपी श्री निरंजन सिंह की बात का खण्डन करते हुए परिवादी ने बताया कि मै इनको बाबू ही समझता था इन्होने मुझे कभी भी नही बताया कि मै गिरदावर हूं। श्री निरंजन